अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27(43) ग्राविवि / ग्रुप–5 / PMAY-G / M-1 / विविध / 2016–17 जयपुर, दि.27 दिसम्बर, 2016

जिला कलेक्टर
बांसवाडा, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विधिवत शुभारंभ "आवास दिवस" बाबत् राज्य स्तरीय समारोह आयोजन कराने बाबत्।

प्रसंग :– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2016 एवं विभागीय पत्र दिनांक 26.04.16, 17.06.16, 13.07.16, 19.07.16 25.07.16, 24.10.16 एवं 07.12.2016.

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 2016 को आगरा, उत्तर प्रदेश में औपचारिक शुभारम्भ किया जा चुका है। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2016 द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विधिवत शुभारंभ हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है :–

1. प्रथम वर्ष में SECC–2011 के आधार पर चयनित वरीयता सूची के लाभार्थियों के अतिरिक्त, स्वतः शामिल परिवार अर्थात भूमिहीन मुक्त बन्धुआ मजदूर, HIV AIDS से पीडित परिवार, सिर पर मैला ढोनें वाले परिवार, PVTG/FRA परिवार एवं पॉलीथीन की छत में रहने वाले परिवारों को अनिवार्य रूप से आवास स्वीकृत किया जाना है। साथ ही भूमिहीन परिवारों को निः शुल्क भूमि, पत्नी व पति के नाम से आवंटित की जावे। जिले में स्वतः शामिल किये जाने वाले व भूमिहीन परिवारों को सूचिबद्व किया जाये एवं आवश्यक भूमि, कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व आवंटित कर दी जावें।
2. अपीलेट कमेठी के समक्ष आपत्ति निस्तारण उपरान्त ग्राम पंचायतवार तैयार वरीयता सूची कार्यालय ग्राम पंचायत तथा सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित / चस्पा कराकर http://iay.nic.in/ जो कि अब http://pmayg.nic.in/ है, पर अपलोड कराई जावे।
3. विभागीय पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा जारी निर्देशानुसार "0" आवास हीन व "1" एक कमरा कच्चा आवास श्रेणी के जिला स्तर से पंचायत समितिवार / ग्राम पंचायतवार उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के समानुपात में लक्ष्य आवंटित किये जावे।
4. शुभारंभ के दिवस का आयोजन 'आवास दिवस' के दिन इस वर्ष के लाभार्थियों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध करवाने के साथ–साथ वर्ष 17–18, व 18–19 के प्रस्तावित लक्ष्य अनुसार लाभार्थियों को प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति (हार्ड कॉपी) समारोह के दौरान उपलब्ध कराई जावें।
   - उल्लेखनीय है कि स्वीकृति के साथ लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थल एवं प्रस्तावित आवास निर्माण स्थल का पृथक–पृथक Geo Tag फाटो आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने के उपरान्त ही ऑन–लाईन स्वीकृति जारी हो सकेगी।

D:\iay\letter to district\Letter.docx

- आवास स्वीकृति के साथ–साथ स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत स्वीकृति व महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत 90 मानव दिवस हेतु मस्टररोल जारी की जावें।
- स्वीकृत आवास का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी मस्टररोल के कम में नींव खुदाई का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त Geo tag फोटो अपलोड कराने पर ही प्रथम किश्त की राशि जारी की जावें।

5. Housing Typology व तकमीना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से IIT दिल्ली द्वारा विभिन्न प्रकार के आवासों के मानचित्र उपलब्ध कराये गये है। अतः जिले हेतु उपयुक्त Prototype का निर्माण कर लागत के तकमीने सामग्री विवरण से लाभार्थियों को अवगत कराया जाये।

माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 21.12.2016 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य में योजना का शुभारम्भ बांसवाडा जिले से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः योजना के विधिवत शुभारंभ दिवस– "आवास दिवस" का राज्य स्तरीय समारोह बांसवाडा जिले में आयोजित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्तावित समारोह आयोजन की कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 29.12.2016 तक प्रस्तुत करावें।

27/12/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) बांसवाडा ।

27.

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का विधिवत् शुभारम्भ दिवस "आवास दिवस" की तैयारियो के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दुः–

आवास दिवस से पूर्व तैयारियो के मुख्य चरणः–

1 SECC-2011 डाटा के आधार पर ग्राम पंचायतवार व वर्गवार वरीयता सूची को जिला अपील कमैटी द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना (आवाससाफ्ट पर इन्द्राज किया जाना होगा)।
2 आवास साफ्ट पर लाभार्थियों का पंजीयन (लक्ष्य का 200%)।
3 लाभार्थी का विवरण मय बैंक डिटेल, फोटो एवं आवास निर्माण स्थल की जीओ टैग फोटो के पश्चात स्वीकृति जारी करना (लक्ष्य का 100%)
4 लाभार्थी के पास भूमि होने अथवा नही होने की दशा में अनिवार्य रूप से पृथक–पृथक स्वीकृतियॉ जारी होगी।
5 महात्मा गांधी नरेगा से नीव खुदाई के कार्य हेतु मस्टररोल जारी करना।
6 नीव खुदाई करने पर प्रथम किश्त 30 हजार रूपये का FTO जारी करना।
7 6 माह में आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य के अनुसार नियमानुसार मस्टररोल व कुर्सी स्तर पर द्वितीय किश्त 60 हजार रू. का FTO जारी करना।
8 स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण पूर्ण करवाना आवास पूर्ण करने हेतु मस्टररोल जारी करना एवं छत का कार्य पूर्ण होने पर तृतीय किश्त के 30 हजार रू. का FTO जारी करना।

योजना के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1 GEO Tegging अनिवार्य।
2 मोबाईल एप के माध्यम से लाभार्थी स्वयं के मोबाईल फोन से मोबाईल नम्बर की सहायता से OTP प्राप्त कर द्वितीय व तृतीय किश्त प्राप्त कर सकता है।
3 स्थानीय परिस्थितियो के अनुकूल तैयार आवास के नक्शे उपलब्ध करवाये गये है।
4 वरीयता सूची में से किसी लाभार्थी को स्वीकृति से वंचित नही किया जा सकता है अर्थात वरीयता सूची के क्रम मे ही स्वीकृतियॉ जारी करना सम्भव होगा।
5 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत एवं नामित टैग अधिकारी पात्रता के 14 बिन्दुओं के सत्यापन हेतु जिम्मेदार होगे।
6 महात्मा गांधी नरेगा से श्रेणी बी के कार्य हेतु (राशि रू. 3 लाख) हेतु आवास योजना का लाभार्थी पात्र।
7 पशुछाया गृह, निर्माण (महात्मा गांधी नरेगा) हेतु आवास योजना का लाभार्थी पात्र।
8 जनवरी, 2017 तक पूर्व में स्वीकृत सभी आवासों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाना है।

अन्य बिन्दुः–

1. कार्यक्रम से पूर्व योजना के प्रचार–प्रसार के क्रम में जिला उदयपुर की सभी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर योजना की प्रमुख जानकारियों के साथ सूचना पट्ट/फ्लेक्स प्रदर्शित कराया जाना।
2. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची सूचना पट्ट/ फ्लेक्स द्वारा प्रिन्टेड बुकलेट के रूप में आमजन को उपलब्धता जहेतु प्रदर्शित कराई जावे। उल्लेखनीय है कि अनुमोदित सूची में आवंटित वर्ष 2018–19 के लक्ष्यानुसार स्वीकृत किये जाने वाले लाभार्थियों के नाम के आगे स्वीकृति वर्ष का अंकन कराया जावे।
3. ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु कुशल कारीगरों की सूची मय मोबाइल नंबर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जावे। "आवास दिवस" के आयोजन के क्रम में पात्र लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कराया जावे, जिसमें आवास योजना के साथ साथ अन्य विभागों की योजनाओं से देय लाभ की सम्पूर्ण जानकारी एवं तद्नुसार आवेदन की प्रक्रिया भी प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण कराई जावे।
4. योजना के दिशा–निर्देशानुसार इच्छुक लाभार्थियों को 70,000 रू. तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु बैकर्स की भागीदारी बाबत् आवश्यक दस्तावेज व ऋण प्रक्रिया की जानकारी आम लाभार्थी को उपलब्ध कराई जावे। योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रोनिक मीडिया यथा – आकाशवाणी का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
5. "आवास दिवस" समारोह आयोजन के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से राज्य में आवास निर्माण के प्रस्तावित मॉडलों को प्रदर्शित किये जावे।
6. "आवास दिवस" के दौरान स्वच्छ भारत मिशन व महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत उपलब्ध मानदेय/सुविधाओं/व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानकारी की स्टॉल प्रदर्शित की जावे।
7. जिलें में वर्ष 2018–19 तक लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों की संकलित पुस्तिका का समारोह के दौरान विमोचन कराकर भाग लेने वाले जन प्रतिनिधियों/लाभार्थियों को "आवास दिवस" के दिन उपलब्ध कराई जावे, जिससे योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे।